

भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4220
18 मार्च, 2026 के लिए प्रश्न

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ाना

4220. श्री अमर शरदराव काले:

श्रीमती पूनमबेन माडम:

श्री जशुभाई भिलुभाई राठवा:

श्री विष्णु दयाल राम:

श्री सुनील कुमार:

क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उचित मूल्य की दुकानों (एफपीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कोई नई पहल कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशन बिना किसी चोरी के लक्षित लाभार्थियों तक पहुंच सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आधार-सत्यापित खाद्यान्न वितरण में वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो वर्तमान में बिहार के पश्चिम चम्पारण जिले में उपभोक्ताओं की कुल संख्या कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रौद्योगिकी आधारित शिकायत निवारण प्रणाली को किस प्रकार सुदृढ़ किए जाने की संभावना है ताकि राशन संबंधी शिकायतों का शीघ्र और पारदर्शी तरीके से समाधान किया जा सके और जवाबदेही तय की जा सके;

(ड.) क्या सरकार द्वारा की गई समीक्षा के बाद राशन कार्डों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में कोई सुधार हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो पूर्ण कवरेज प्राप्त करने के लिए आगे की योजना सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आधार-सत्यापित खाद्यान्नों के वितरण में क्या प्रगति हुई है?

उत्तर

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री
(श्रीमती निमुबेन जयंतीभाई बांभणिया)

(क): सरकार ने लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सब्सिडी वाले खाद्यान्न की पात्र लाभार्थियों तक सुलभता सुनिश्चित करने के लिए कई प्रौद्योगिकी-आधारित पहल की हैं।

प्रमुख उपायों में राशन कार्ड/लाभार्थी डेटाबेस का 100% डिजिटलीकरण, 99.7% से अधिक राशन कार्डों का आधार से जुड़ाव और पारदर्शी वितरण के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण को सक्षम करने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ईपीओएस) उपकरणों के साथ लगभग 5.50 लाख (99.8%) उचित दर दुकानों (एफपीएस) का स्वचालन शामिल है। इसके अलावा, राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी सुवाह्यता (पोर्टेबिलिटी) के लिए एक राष्ट्र एक राशन कार्ड (ओएनओआरसी), शिकायत निवारण प्रणाली और पीडीएस संचालन के आधुनिकीकरण के लिए चल रही स्मार्ट-पीडीएस योजना जैसी पहलें निगरानी को सुदृढ़ करने, भ्रष्टाचार को कम करने और देश भर में सेवा वितरण में सुधार करने के लिए लागू की जा रही हैं।

(ख): सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों के आधार-प्रमाणित वितरण में पिछले एक वर्ष में सुधार हुआ है। आधार-प्रमाणित लेनदेन का हिस्सा फरवरी 2025 में 94.42% से बढ़कर फरवरी 2026 में 98.75% हो गया है।

(ग): बिहार के पश्चिम चंपारण जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत वर्तमान में लाभार्थियों की कुल संख्या 33.31 लाख है।

(घ): विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में शिकायत निवारण को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

1. शिकायत निवारण प्रणालियों को सुदृढ़ बनाना

- सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 1967/1800 श्रृंखला की टोल-फ्री हेल्पलाइन की सार्वभौमिक उपलब्धता।
- उन्नत एआई-सक्षम व्हाट्सएप और आईवीआरएस आधारित शिकायत निवारण प्रणाली 'अन्न सहायता' की शुरुआत, जिससे लाभार्थी अपनी भाषा में शिकायत दर्ज करा सकें।
- मेरा राशन मोबाइल ऐप, जो लाभार्थियों को उनकी पात्रता, सदस्य और जनसांख्यिकीय विवरण, पिछले महीने के वितरण की स्थिति, नजदीकी एफपीएस की अवस्थिति और ऐप के माध्यम से सीधे शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है।

2. सीपीग्राम के माध्यम से बेहतर निगरानी

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और सभी संबंधित संगठनों को शिकायत निवारण कार्यक्रमों के तहत निर्धारित 21-दिवसीय समय सीमा का सख्ती से पालन करने के लिए जागरूक किया गया है।
- सीपीग्राम डैशबोर्ड के माध्यम से शिकायतों की लंबित स्थिति की नियमित निगरानी की जाती है।

- शिकायतों के एकसमान और समयबद्ध समाधान को बढ़ावा देने के लिए राज्यों को मासिक परामर्शी जारी की जाती है। उच्च लंबित स्तर वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुधारात्मक कार्रवाई के लिए विशेष रूप से चिह्नित किया जाता है।
- ये कदम सामूहिक रूप से शिकायत निवारण तंत्र को सुदृढ़ करते हैं, पारदर्शिता में सुधार करते हैं, राशन कार्ड डेटाबेस में सुधार सुनिश्चित करते हैं और सभी लाभार्थियों को समय पर तथा पारदर्शी तरीके से उनके उचित पात्र खाद्यान्न प्राप्त हों, यह सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 के तहत, पात्र लाभार्थियों की पहचान, राशन कार्ड अभिलेखों के रखरखाव और अद्यतन तथा लाभार्थी विवरणों के प्रबंधन की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों पर है। तदनुसार, लाभार्थी के विवरण-जैसे नाम, परिवार की संरचना या जनसांख्यिकीय विवरण-में कोई भी सुधार, संशोधन या अद्यतन करना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा उनकी निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार किया जाता है।

(ड.) और (च): केंद्र सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित समीक्षा और निगरानी के बाद राशन कार्डों की आधार सीडिंग और ई-केवाईसी में सुधार हुआ है।

राशन कार्डों की आधार सीडिंग फरवरी 2025 में 99.3% से बढ़कर फरवरी 2026 में 99.7% हो गई है। इसी तरह, लाभार्थियों की ई-केवाईसी फरवरी 2025 में लगभग 76% से बढ़कर फरवरी 2026 में 87.37% हो गई है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभार्थी प्रमाणीकरण को मजबूत करने में निरंतर प्रगति को दर्शाती है। वर्तमान में, आधार-प्रमाणित लेनदेन का हिस्सा फरवरी 2025 में 94.42% से बढ़कर फरवरी 2026 में 98.75% हो गया है।

सरकार उचित दर दुकानों पर ई-पीओएस उपकरणों के व्यापक उपयोग, लाभार्थियों के आधार सीडिंग और ई-केवाईसी को पूरा करने के माध्यम से कवरेज को और बढ़ाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ लगातार काम कर रही है, ताकि देश में लगभग 100% आधार-प्रमाणित वितरण प्राप्त किया जा सके।
